

पत्रांक-3ए-3-भत्ता-01/2024...../वि०, पटना दिनांक:-.....

बिहार सरकार

वित्त विभाग

विषय:- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2140, दिनांक-28.02.2024 के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्ता/सुविधाओं की दी गई स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2140, दिनांक-28.02.2024 के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभिन्न भत्ता/सुविधाओं की स्वीकृति दी गई है।

उक्त स्वीकृति के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत गठित Committee for Service Condition of District Judiciary (CSDJ) की बैठक दिनांक-28.02.2024 को विभिन्न हित धारकों एवं बिहार न्यायिक सेवा एसोसिएशन से विचार-विमर्श के उपरांत विधि विभागीय पत्रांक-1760 दिनांक-06.03.2024 के द्वारा कतिपय बिंदुओं को स्पष्ट किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त आलोक में वित्त विभागीय संकल्प के निम्नलिखित प्रावधान को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :-

- क. शिशु शिक्षा भत्ता:-** शिशु शिक्षा भत्ता प्रति शिशु प्रतिमाह रु० 2,250/- (नियत) की दर से अधिकतम दो बच्चों हेतु अनुमान्य है। जिन मामलों में शैक्षणिक संस्थान के प्रधान से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सके, वैसे मामलों में संबंधित न्यायिक पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट कार्ड अथवा शुल्क रसीद (ई-रसीद सहित) को स्व-प्रमाणित कर प्रस्तुत करने पर दावे का भुगतान लिया जा सकेगा।
- ख. वाहन/परिवहन भत्ता :-** संकल्प के द्वारा प्रावधानित परिवहन भत्ता के साथ-साथ ईंधन (डीजल/पेट्रोल) भत्ता भी दिनांक- 01.01.2016 के प्रभाव से अनुमान्य है।
- ग. होम अर्दली/घरेलु सहायक भत्ता :-** जिन न्यायिक पदाधिकारी को 01.01.2016 के पूर्व यह भत्ता प्राप्त हो रहा था, उन्हें 01.01.2016 के प्रभाव से, और जिन न्यायिक पदाधिकारी को 01.01.2016 के पूर्व यह भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा था, उन्हें 01.01.2020 से, तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों (पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों) को दिनांक-01.01.2016 अथवा सेवानिवृत्ति/पारिवारिक पेंशन प्रारंभ होने की तिथि, जो बाद में हो, से संकल्प द्वारा प्रावधानित दर पर अनुमान्य किया जाएगा। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान तत्काल बिना स्वप्रमाणन के किया जा

सकैगा, परन्तु संकल्प निर्गत की तिथि के एक वर्ष के अंदर संलग्न प्रपत्र में स्व-प्रमाणन प्रमाण पत्र संबंधित कोषागार/बैंक में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के द्वारा जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुलग्नक : विहित प्रपत्र।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2024 _____/वि० पटना, दिनांक-_____

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2024 _____/वि० पटना, दिनांक-_____

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2024 3967/वि० पटना, दिनांक-12/04/2024

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /सभी कोषागार पदाधिकारी /सभी पेंशन प्रदायी बैंक/सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

12/4/2024

स्व-घोषणा पत्र
(होम अर्दली/घरेलू सहायता भत्ता)

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती..... (नाम)
..... {पदनाम/पी०पी०ओ० सं० (पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर हेतु)}
..... (वर्तमान/अंतिम पदस्थापन कार्यालय का नाम) प्रमाणित
करता हूँ कि मैं होम अर्दली/घरेलू सहायक की सेवाओं का उपयोग कर रहा/रही हूँ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.01.2024 को पारित निर्णय के
अनुसरण में बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2140, दिनांक-28.02.2024 एवं वित्त
विभागीय पत्रांक-3967, दिनांक-12/04/2024 के आलोक में बकाया राशि के साथ मासिक
आधार पर इस भत्ते का हकदार हूँ, तदनुसार मैं इसका दावा करता/करती हूँ।

दिनांक-.....

(हस्ताक्षर)

..... (नाम)